

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/06/2015-अ.भा.से.-(1)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 25 मार्च, 2019

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों की सहमति से, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री विरेन्द्र सिंह, आई.ए.एस., (महाराष्ट्र:2006) का वैयक्तिक आधार पर महाराष्ट्र संवर्ग से राजस्थान संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन करती है।



(पंकज गंगवार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड,
नई दिल्ली-110002